|  |  |
| --- | --- |
| **(क)** | क्‍या यह सच है कि देश में खाद्य पदार्थों के मूल्‍यों में कमी लाने हेतु उठाए गए बहुत से मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपाय असफल हो गए हैं; |
| **(ख)** | क्‍या यह भी सच है कि खाद्य मुद्रास्‍फीति 11.43 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो कि 6 महीनों में उच्‍चतम है, और |
| **(ग)** | मुद्रास्‍फीति नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्‍या ठोस कार्रवाई की जा रही है? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)**

**(क) और (ख):** सरकार ने मूल्‍य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई मौद्रिक एवं प्रशासनिक उपाय किए हैं। लगातार बनी चिंता का एक सबब उच्‍च खाद्य मुद्रास्‍फीति का बना रहना है। नीतिगत कार्रवाई के परिणामस्‍वरूप, हम मुख्‍यत: हेडलाइन डब्‍ल्‍यूपीआई मुद्रास्‍फीति पर काबू पाने और उसकी संभावनाएं कम करके दोहरे अंक के स्‍तर से नीचे रखने में सफल रहे हैं, हालांकि सरकार की निश्‍चित मंशा यह है कि इसे शीघ्र कम करके अधिक संतोषजनक स्‍तर पर लाया जा सके। तथापि, संयुक्‍त खाद्य मुद्रास्‍फीति जिसमें खाद्य वस्‍तुएं और खाद्य उत्‍पाद शामिल है, में फरवरी, 2010 के 20 प्रतिशत के शिखर से उल्‍लेखनीय कमी आई और अप्रैल, 2010 में लगभग 16 प्रतिशत तथा फरवरी-अक्‍तूबर, 2011 के बीच यह 6.8-9.9 प्रतिशत के दायरे में रही। पिछले छ: महीनों में खाद्य वस्‍तुओं में डब्‍ल्‍यूपीआई आधारित वर्षानुवर्ष डब्‍ल्‍यूपीआई मुद्रास्‍फीति नीचे दी गई है:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **खाद्य वस्‍तुओं की डब्‍ल्‍यूपीआई आधारित वर्षानुवर्ष मुद्रास्‍फीति (प्रतिशत)** | | | | | | | |
|  | **भारांश (प्रतिशत)** | **मई-11** | **जून-11** | **जुलाई-11** | **अगस्‍त-11** | **सित.-11** | **अक्‍तू.-11** |
| **हेडलाईन डब्‍ल्‍यूपीआई मुद्रास्‍फीति** | **100.00** | 9.56 | 9.51 | 9.36 | 9.78 | 9.72अ | 9.73अ |
| **खाद्य संयुक्‍त** | **24.31** | 8.11 | 8.04 | 8.17 | 9.19 | 8.81अ | 9.91अ |
| **प्राथमिक खाद्य वस्‍तुएं** | **14.34** | 8.25 | 7.64 | 8.19 | 9.62 | 9.23अ | 11.06अ |
| **विनिर्मित खाद्य उत्‍पाद** | **9.97** | 7.85 | 8.77 | 8.13 | 8.41 | 8.05अ | 7.80अ |

अ- अनंतिम

**(ग):** आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं: चावल, दालों, खाद्य तेलों (कच्‍चा) पर आयात शुल्‍क शून्‍य कर दिया गया, खाद्य तेलों (नारियल के तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (प्रति वर्ष अधिकतम 10,000 टन की मात्रा तक काबुली चना और जैव दालों को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध, वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द तथा तूर के वायदा कारोबार को आस्‍थगित किया गया, दालों, धान और चावल के मामले में स्‍टॉक सीमा संबंधी आदेशों को बढ़ाकर 30 सितम्‍बर, 2011 तक किया गया, वित्‍त वर्ष में कुल 10,000 मीट्रिक टन तक आयात करने के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्‍यू) के तहत स्‍किम्‍ड मिल्‍क पाउडर (एसएमपी) का शुल्‍क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, टीआरक्‍यू के तहत 2010-11 के दौरान राष्‍ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को शून्‍य शुल्‍क पर 30,000 टन दूध पाउडर और 15,000 टन दुग्‍ध वसा के आयात की अनुमति दी गई, कच्‍चे तेल पर सीमा शुल्‍क तथा पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्‍क में कटौती की गई।

मौद्रिक नीति की समीक्षा के कार्य के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्‍यवस्‍था की क्षमता के अनुरूप मांग के स्‍तर को संतुलित करने के लिए पॉलिसी दरों में लगातार 13 बार वृद्धि करने के साथ-साथ संबंधित उपाय करने हेतु उचित कदम उठाए हैं ताकि कीमतें बढ़ने दिए बिना अर्थव्‍यवस्‍था के विकास की रफ्तार बनाए रखी जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक की 25 अक्‍तूबर, 2011 की हाल ही की घोषणा के अनुसार, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को संशोधित करके क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

**\*\*\*\*\***